न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 01/2022 अंतर्गत धारा 90(ए)(9) एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/32

जसवंत सिंह पुत्र स्व. पुनीराम जाति बावरी निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

नगर विकास न्यास बीकानेर जरिये सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट

1. श्रीमति फुलबाई पत्नि स्व. पुनीराम जाति बावरी निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. जगतार सिंह
3. करतार सिंह
4. पारूराम
5. सुरेश
6. कमलेश
7. कृष्ण
8. रमेश

पिसरान स्व. पुनीराम जाति बावरी निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

—— गौण रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलांट
श्री दाऊलाल हर्ष – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 06.07.2022

यह अपील राजस्थान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए(9) के अन्तर्गत नगर विकास न्यास बीकानेर के निर्णय दिनांक 20.11.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 372/281 तादादी 25 बीघा मौजारोही उदासर को अपीलांट ने जरिये इकरारनामा दिनांक 19.07.1978 को तत्कालीन खातेदार रतनाराम पुत्र कुशलाराम जाति मेघवाल से खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लिया। नगर विकास न्यास बीकानेर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अंतर्गत आदेश पारित कर आदेश में उल्लेखित खसरों का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु सुओमोटो (स्वप्रेरणा) अनुज्ञा प्रदान कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील 20.11.2012 विधि विरूद्ध, गलत, असंगत एवं मनमाने तौर पर किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर ने सुओमोटो के आधार पर आदेश पारित किया, जिसका इस प्रकरण से संबंधित विधि में प्रावधान नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण हाजा में कोई जांच नहीं की, दस्तावेजी साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं समझी, हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। धारा 90–क के प्रावधानों में व्यक्तिशः नोटिस का अनिवार्य प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सर्वे की कार्यवाही पूर्णतया दूषित है। सर्वे के समय भी अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। दो अलग–अलग खातेदारों की भूमि को इकजाही सर्वे कर ले आउट प्लान अनुमोदित करवाना कानून के प्रावधानों स्पष्ट रूप से विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व गौण रेस्पोडेन्ट्स को बिना सुने उनकी 55000 वर्गफुट भूमि जो ले आउट प्लान के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर स्थित हैं तथा उत्तर की तरफ दर्शाई गई 30 फुट सड़क अपीलांट व गौण रेस्पोडेन्ट्स की उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि में दर्शाई गई है जिसका अधिनस्थ न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं था, इसप्रकार आदेश जैर अपील मय ले आउट प्लान दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान में दिनांक 05.12.2021 को अपीलांट व गौण रेस्पोडेन्ट्स को अपनी उक्त विवादित भूमि की सार संभाल करते समय रेस्पोडेंट संख्या 1 के कर्मचारी द्वारा ले आउट प्लान की जानकारी मिली। तत्पश्चात् अपीलांट ने आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर इस न्यायालय में यथाशीघ्र अपील प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट व गौण रेस्पोडेन्ट्स स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 20.11.2012 अपीलांट व गौर रेस्पोडेन्ट्स की कृषि भूमि की हद तक निरस्त फरमाया जावे तथा अनुमोदित ले आउट प्लान खसरा नंबर 372/281 का संशोधन करने का आदेश प्रदान करें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट श्री दाऊलाल हर्ष ने बहस के दौरान कथन किया कि नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए सुओमोटो आदेश पारित किये है। अपीलांट ने रणजीत सिंह को पक्षकार नहीं बनाया। नगर विकास न्यास बीकानेर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अंतर्गत उक्त विवादित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु पूर्ण जांच कर सुओमोटो अनुज्ञा प्रदान की है, जो नगर विकास न्यास बीकानेर के क्षेत्राधिकार में है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही मानते हुए अपील मियाद में शुमार की जाती है। प्रकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा अपीलांट व गौण रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किये गये है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर पूर्ण जांच कर निर्णय करें कि जहां 90 ए की कार्यवाही हो रही है, फैशिलिटी के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि उसी के हिस्सें की भूमि में से दी जावे।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर